

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
LEGISLATIVE DEPARTMENT**

RAJYA S A B H A

STARRED QUESTION No. *177

ANSWERED ON 22/12/2022.

LEGAL RECOGNITION OF LIVE-IN RELATIONSHIPS

***177. SMT.RAJANI ASHOKRAO PATIL**

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

- (a) whether Government intends to introduce a system for registering live- in relationships;
- (b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;
- (c) whether Government intends to provide a set of protections for people in live-in relationships;
- (d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;
- (e) whether Government intends to recognize non-heterosexual live-in relationships; and
- (f) if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF LAW & JUSTICE,

(KIREN RIJIJU)

(a) to (f) : A Statement is laid on the Table of the House.

**STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) to (f) OF THE
RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO.177 FOR ANSWER ON
22/12/2022**

(a) to (f) : In so far as the protection of people in live-in relationships are concerned, 'the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005' (PWDVA) provides for protection of the rights of women who are victims of violence of any kind occurring within the family and for matters connected therewith or incidental thereto. As per sub-section (f) of section (2) of the aforesaid Act 'domestic relationship' means relationship between two persons who live or have, at any point of time, lived together in a shared household, when they are related by consanguinity, marriage, or through a relationship in the nature of marriage, adoption or are family members living together as a joint family". The Hon'ble Supreme Court and other Hon'ble Courts in a number of judgements have held the view that 'live-in-relationship', which are in the nature of marriage are covered under the provisions of PWDVA. In *Navtej Singh Johar and Ors Vs Union of India* and Ors (Writ Petition(Criminal) No. 76 of 2016) the Supreme Court held that consensual sexual acts of adults in private is constitutional.

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *177
जिसका उत्तर गुरुवार, 22 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

‘लिव-इन रिलेशनशिप’ को कानूनी मान्यता दिया जाना

***177. श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 'लिव-इन रिलेशनशिप' के पंजीकरण के लिए कोई प्रणाली शुरू करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार 'लिव-इन रिलेशनशिप' में रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का इरादा रखती है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार गैर-विषमलैंगिक 'लिव-इन रिलेशनशिप' को मान्यता देने का विचार रखती है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

**विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)**

(क) से (च) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

लोक सभा तारांकित प्रश्न सं० *177, जिसका उत्तर 22.12.2022 को दिया जाना है, के भाग (क) से (च) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

(क) से (च) : जहां तक लिव-इन रिलेशनशिप में लोगों की सुरक्षा का संबंध है, 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005' (पीडब्ल्यूडीवीए) परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए पीड़ित महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा का उपबंध करता है।। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा (2) की उप-धारा (च) के अनुसार "घरेलू नातेदारी" से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है, जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, जब वे, समरक्तता, विवाह द्वारा या विवाह, दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित हैं या एक अविभक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुम्ब के सदस्य हैं "। माननीय उच्चतम न्यायालय और अन्य माननीय न्यायालयों ने कई निर्णयों में यह विचार रखा है कि 'लिव-इन-रिलेशनशिप', जो विवाह की प्रकृति के हैं, पीडब्ल्यूडीवीए के उपबंधों के अधीन आते हैं। नवतेज सिंह जौहर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2016 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 76) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्राइवेट में वयस्कों की सहमति से लैंगिक कृत्य संवैधानिक है ।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over. Hon. Members, the House stands adjourned till 2.00 p.m.